न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या– 244/17 धारा 144 द0प्र0सं0

पोदिना देवी ..... प्रथम पक्ष

बनाम्

सहादत अंसारी वगै0 ..... द्वितीय पक्ष

आदेश

अभिलेख दिनांक 05-10-17 को आदेशार्थ प्रस्तुत। यह वाद अंचल अधिकारी बिरनी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रथम पक्ष के पोदिना देवी एवं द्वितीय पक्ष के सहादत अंसारी वगै0 के प्रश्नगत भूमि पर जाने से रोक लगाई गई साथ ही उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर प्रश्नगत भूमि के दावे के समर्थन में कारण पृच्छा की मांग किया गया। प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्न इस प्रकार है :–

मौजा– पडरमनिया, थाना– बिरनी, जिला– गिरिडीह के खाता संख्या– 28, खेसरा सं0– 797, रकवा– 4.04 डी0 मध्ये 1.01 डी0, चौहद्दीः उ0– नीज हिस्सेदार, द0– रास्ता (पक्की सड़क), पू0– एतवारी मियां, प0– सीमाना मौजा खाखीपीपर।

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल कर अपने दलील में बताया गया कि यह जमीन प्रथम पक्ष का खतियानी जमीन हैं जो देवचन्द्र हजाम वल्द कनकु हजाम वो हितवा वल्द रेशमन हजाम के नाम पर दर्ज है वो इसका मालगुजारी रसीद भी निर्गत होता चला आ रहा है। उपरोक्त जमीन केवाला सं0 1486/150 दिनांक 06.02.1998 से अमीर हजाम वल्द शनीचर बनाम 1. मौला मियां, 2. जमुना मियां के नाम पर निबंधन कार्यालय हजारीबाग में निबंधन करा लिए थे परन्तु वंशावली के अनुसार अमीर हजाम का मात्र $50\frac{1}{2}$ डी0 ही हिस्सा बनता है।

प्रथम पक्ष द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्नांकित दस्तावेज के छायाप्रति प्रस्तुत किए है–

1. हुकुमनामा
2. पंचनामा

द्वितीय पक्ष के द्वारा न कोई कारण पृच्छा दाखिल किया गया और न ही उपरोक्त भूमि से संबंधित कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

अंचल अधिकारी बिरनी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि खाता का किस्म जमीन टांड दो हैं, जो खतियान देवचन्द हजाम वो कनकु हजाम वो हितवा वल्द रेशमन दर्ज है। पंजी II के आधार पर मौजा पडरमनिया के पंजी II के भोलुम नं0 I पेज नं0 38 पर देवचन्द हजाम वगै0 पिता कनकु हजाम के नाम से जमाबंदी कायम है। विवादित भूमि पर लगभग $0.50\frac{1}{2}$ डी0 भूमि पर द्वितीय पक्ष का दखल कब्जा है तथा $0.50\frac{1}{2}$ डी0 भूमि वर्त्तमान में परती है।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों व अंचल अधिकारी बिरनी के जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह मामला भूमि के हक-हकियत से संबंधित है। चुँकि वाद की कार्यवाही धारा 144 द0प्र0सं0 के तहत शांति बनाये रखने के लिए प्रारम्भ हुई, जिसकी अवधि मात्र 60 दिनों की होती है। निधारित अवधि के दौरान कोई अप्रिय घटना अथवा शांति भंग नहीं हुई ऐसी परिस्थिति में आदेश पारित करना न्यायोचित नहीं है।

अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया।

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया।

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2021.09.24 15:19:34 +05:30
Location: 192.168.43.238